न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
सुमेरचन्द बनाम राज० सरकार मु.नं. 32/22	

दिनांक 9-5-24
पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 25-6-24 को पेश हो।

दिनांक 25/6/24
पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 30/7/24 को पेश हो।

दिनांक 30/7/24
पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 3/9/24 को पेश हो।

3/9/24 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। तहसीलदार बौंरूपाडा से दिनांक 10.12.23 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8-10-24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8-10-24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहस प्रा.पत्र दिनांक 26.12.24 को पेश हो।

26.12.24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र अस्वीकार किया जाता है।

— जारी

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	सुमेरचन्द बनाम राज. सरकार मु.नं. 37/22 (बिविध)
	विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
32/22	01.11.22	26.12.24

बउनवान

सुमेरचन्द पुत्र हीरालाल निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा।

...अप्रार्थी

उपस्थितः अभिभाषक प्रार्थी–श्री लीलाराम मीना।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती रिकॉर्ड अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि मुतदाविया ग्राम बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा राजस्थान में स्थित खेवट खतौनी संख्या नई 297 पुरानी 285 के खसरा सं. 2433/2890 रकबा 0.01 हैक्टे. गै. मु. चाह एवं खतौनी संख्या नई 357 पुरानी 285 के खसरा सं. 4173/2588 रकबा 0.19 हैक्टे., खसरा सं. 4174/2432 रकबा 0.22 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 हैक्टे. प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि में, प्रार्थी का विरासत का नामाकरण खोलते समय, सहवन से प्रार्थी का घर में बोलता नाम सोमोत्या व पिता का नाम हारया राजस्व अधिकारीयों द्वारा दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी का`सही नाम सुमेर चन्द व प्रार्थी के पिता का सही नाम हीरालाल बैरवा है तथा प्रार्थी के पहचान पत्र, पटटा में तथा बैंक पास बुक, आधार कार्ड, आदि सभी दस्तावेजात में भी सही नाम सुमेर चन्द व हीरालाल बैरवा दर्ज है। प्रार्थी को दर्ज गलत नामों की जानकारी दिनांक 14.09.22 को पटवारी से नकल लेने पर पटवारी के द्वारा बताने पर हुयी। प्रार्थी ने नाम दुरूस्ती के लिये अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी ने कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ। अतः निवेदन है कि दुरस्ती प्रार्थी के हक में इस अमर की जारी की जावे कि भूमि मुतदाविया में प्रार्थी का दर्ज गलत नाम सोमोत्या व पिता का दर्ज गलत नाम हारया को हजफ किया जाकर प्रार्थी का सही नाम सुमेर चन्द व पिता का सही नाम हीरालाल बैरवा को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा को नोटिस वास्ते जवाव जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2023/1334 दिनांक 07.12.23 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम बालाहेडा के खाता संख्या 297, 357 पर सोमोत्या पुत्र हारया दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड जिस पर दिल्ली का पता है तथा ग्राम ग्राम पंचायत द्वारा जारी आवासीय पट्टा पर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

सुमेरचन्द पुत्र हीरालाल दर्ज है जबकि राशनकार्ड व मतदाता पहचान पत्र पर सोमोत्या पुत्र हारया दर्ज है व मौका रिपोर्ट अनुसार सुमेरचन्द पुत्र हीरालाल व सोमोत्या पुत्र हारया दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती रिकॉर्ड को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी खाता संख्या 357 तथा 297 में दर्ज प्रविष्टि सोमोत्या पुत्र हारया को संशोधित कर सुमेरचन्द पुत्र हीरालाल करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उल्लिखित किया गया कि प्रार्थी द्वारा जिस प्रविष्टि के सम्बन्ध में दुरुस्ती चाही गई है, वह प्रविष्टि प्रार्थी का विरासत का नामाकरण खोलते समय दर्ज हुई है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

136. गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उल्लिखित तथ्यों तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिन प्रविष्टियों के सम्बन्ध में दुरुस्ती चाही गई है, वह प्रविष्टि प्रार्थी का विरासत का नामाकरण खोलते समय दर्ज हुई है तथा इस प्रविष्टि को संशोधित किया जाना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण पोषनीय नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधान के अंतर्गत पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को न्यायालय में सुनाया गया ।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner